## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए रास्ता स्वीकृति बाबत

### –:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

| | |
|---|---|
| 1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा | प्रार्थी |
| 2. श्री गुरमेल सिंह ढिल्लों | अप्रार्थी सं. 1 |
| 3. श्री नवीन कुमार जैन | अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 |
| 3. जरिये सरकार तहसीलदार पीलीबंगा | अप्रार्थी संख्या 2 |

### –:: निर्णय ::–

दिनांक :– 05/05/2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए रास्ता स्वीकृती बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि–

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का प्रमाणित व पंजीकृत पता सिविल प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानो के अनुसार वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में निवेदित किया गया हैं।

यह कि प्रार्थी की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 17 एमओडी के खाता स. 114/90 के प.न. 30/263 (25) के किला न. 7, 8/2/0.152, 13/1/0.240, 14/1/0.240, प.न.31/263 (26) के किला न. 24, 25/1/0.228, प.न.31/264 (27) के किला न.4, 5/1/0.228, 5/2/0.025 की कुल 1.897 हैक. नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता व इसी चक के खाता स. 115/75 के प.न.30/263 (25) के किला न.8/1/0.101 की 0.101 हैक. नहरी प्रकार कुल 1.998 हैक. नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी स. 1 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 17 एमओडी के खाता स.104/83 के प. 7.29/266(36.) के15/1/0.215, 15/2/0.038, 16/1/0.215, 16/2/0.038, 24, 25/1/0. 215, 25/2/0.038, प.न.30/263 (25) के किला न.5/2/0.025, 5/4/0.228, 6/1/0.228, 6/2/0. 025, 15/1/0.168, 15/2/0.025, 16/2/0.025, 16/4/0.168 व प.न.30/266 (35) के किला न.25/1/0.203, 25/2/0.025, 25/3/0.025 की कुल 2.

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा।

157 हैक. अनकमाण्ड, नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता खाला कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है। 4. यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी स.1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी स.1 के नाम वर्णित उक्त खातेदारी कृषि भूमि के चक 17 एमओडी के खाता स. 104/83 के प.न.30/263 (25) के किला न. 5/2, 514 में 3 बिस्वा डेढ बिस्वा पूर्व से पश्चिम लम्बा व डेढ़ बिस्वा उतर से दक्षिण लम्बा व किला न. 6/0.03 हैक. कुटाउ किला न.7 के चिपता रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाना चाहता है, मौका पर रास्ता चालू है, जिसका का उपयोग व उपभोग प्रार्थी व अप्रार्थी स.1 करते आ रहे है प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने हेतू अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी व अन्य काश्तकार इसी रास्ते का उपयोग अपनी कृषि भूमि में आने जाने के साथ साथ कृषि भूमि में कृषि यंत्र लाने ले जाने भूमि की बीजाई व कटाई हेतु कृषि यंत्र लाने ले जाने व कृषि जिन्स को इक्कठा करने के लिये इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। इस कारण मिन प्रार्थी, अप्रार्थी स.1 के नाम वर्णित चक 17 एमओडी के खाता स. 104/83 के प.न.30/263 (25) के किला न. 5/2, 514 में 3 विस्वा डेढ़ बिस्वा पूर्व से पश्चिम लम्बा व डेढ़ बिस्वा उतर से दक्षिण लम्बा व किला न.6/0.03 हैक. कुटाउ किला न. 7 के चिपता रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाना चाहता है।

यह कि प्रार्थी द्वारा चाहे, गये अनुतोष को स्वीकृत किये जाने की एवज में श्रीमान् न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थी रास्ता हेतु स्वीकृत कृषि भूमि के बदले भूमि पूर्व में अप्रार्थी को दे रखी है।

यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय 2/- रुपये न्यायशुल्क पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि चक 17 एमओडी के खाता स. 104/83 के प.न.30/263 (25) के किला न.5/2, 514 में 3 बिस्वा डेढ बिस्वा पूर्व से पश्चिम लम्बा व डेढ़ बिस्वा उतर से दक्षिण लम्बा व किला न. 6/0.03 हैक. कुटाउ किला न.7 के चिपता रास्ता कृषि भूमि के बदले भूमि पूर्व में अप्रार्थी को दे रखी है के आदेश फरमाये जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा को वास्ते तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 को बतौर अप्रपार्थी पक्षकार संयोजित करने पर अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर अनाप्तित दर्ज किये जोन पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 को पक्ष कार संयोजित किया गया है।

दिनांक 30.01.2026 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1, 4 ता 6 स्वयम् हाजिर होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया है राजीनामा उभय पक्ष निम्न प्रकार से है –

यह कि प्रार्थीगण/प्रथम पक्ष की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 17 एमओडी के खाता संख्या 114/90 के प.न. 30/263 (25) के किला न. 7,8/2/0.152, 13/1/0.240. 14/1/0. 240, पन. 31/263(26) क` किला न. 24,25/1/0.228, प.न. 31/264 (27) के किला न. 4, 5/1/0.228, 5/2/0.025 की कुल 1,897 हैक, नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता व इसी चक के खाता सं. 115/75 के प.न. 30/263 (25) के किला न. न 8/1/0.101 की 0.101 हैक नहरी प्रकार कुल 1.998 हैक. नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 / द्वितीय पक्ष की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 17 एमओडी के खाता संख्या 104/83 के प.न. 29/226 (36) के किला न. 15/1/0.215,15/2/0.038, 16/1/0. 215,16/2/0.038, 24, 25/1/0.215,25/2/0.038, प.न. 30/263(25) के किला

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा (हनुमानगढ़) सत्यमेव जयते

न. 5/2/0.025, 5/4/0.228, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 15/1/0.168, 15/2/0.025, 16/2/0.02516/4/0.168, व प.न. 30/266 (35) के किला न. 25/1/0.203, 25/2/0.025,25/3/0.025 की कुल 2.157 हैक. अनकमाण्ड, नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता खाला कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

यह कि अप्रार्थी सं. 3 ता 5/ द्वितीय पक्ष की सयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 17 एमओडी के खाता संख्या 71/23 के प.न. 30/263(25), प.न. 31/263(26) उक्त दोनो पत्थरो की कुल 2रू840 हैक. नहरी मय गैरमुमकिन खाला रास्ता कृषि भूमि दर्ज राजरव रिकार्ड है।

यह कि अप्रार्थी सं. 6/द्वितीय पक्ष की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 17 एमओडी के खाता संख्या 74/66. के प.न. 30/263 (25) व प.न. 31/263 (26) उक्त दोनो पत्थरो की कुल 2.726 हैक. नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

वद पत्र राजीनामा की दफा 1 ता 4 मे वर्णित कृषि भूमि प्राथी/प्रथम पक्ष व यह कि प्रार्थना अप्रार्थी/द्वितीय पक्ष के नाम राजस्व रिकार्ड है प्रार्थी/प्रथम पक्ष को अपनी कृषि भूमि मे आने-जाने हेतू अप्रार्थी सं. 1/द्वितीय प.न. 30/263(25) के किला न. 5 उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम मे लम्बा खाला को छोड़ते हुये 0.018 हैक. रास्ता दिया व अप्रार्थी स 3 ता 5/द्वितीय पक्ष किला न. 4/2 मे 0.010 हैक. एवं अप्रार्थी सं. 6/द्वितीय पक्ष किला न. 4/1 मे 0.008 हैक. पूर्वी दिशा मे उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता किला न. 7 तक पहूचता हुआ जिसके बदले प्रार्थी/प्रथम पक्ष किला न. 7 मे पूर्वी दिशा उतर से दक्षिण मे रास्ते की 20 फीट भूमि / जगह को छोड़ते हुये 0.008 हैक. भूमि / जगह व किला न. 14 मे 0.010 हैक. भूमि / जगह पूर्वी दिशा उतर से दक्षिण में लम्बी अप्रार्थी सं. 1 / विनोद कुमार/द्वितीय पक्ष को देने के लिए सहमत है तथा अप्रार्थी सं. 3 ता 6/द्वितीय पक्ष को उक्त रास्ता के बदले प्रार्थी/प्रथम पंक्ष किला न. 8 मे 0.010 हैक. उतरी दिशा पूर्व से पशिचम लम्बी भूमि / जगह अप्रार्थी सं. 3 ता 5/द्वितीय पक्ष को व किला न. 7 मे उतरी दिशा पूर्व से पशिचम 13 फीट रास्ते की भूमि/जगह को छोड़ते हुये अप्रार्थी सं. 6/द्वितीय को 0.008 हैक. भूमि/जगह देनी तय पायी है।

मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृत करते हुये राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जोने के आदेश दिये जावे। अतः प्रार्थना पत्र राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृत करते हुये राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से हाजिर होकर इकबाल दावा प्रस्तुत किया गया है जो कि निम्न प्रकार से है –

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पंजीकृत पता से सम्बधिंत है जो प्रार्थी स्वंय सिद्ध करे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1, 4 ता 6 के मध्य आपस में राजीनामा हो चुका है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता यदि मिन अप्रार्थीया की भूमि में से स्वीकृत किया जाता है तो मिन अप्रार्थीया को कोई आपति व एतराज नही होगा इसमें मिन अप्रार्थीया की पूर्ण सहमति है। रास्ता मे आई भूमि की एवज मे मिन अप्रार्थीया ने उतनी भूमि प्रार्थी से प्राप्त कर ली है। यदि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तो मिन अप्रार्थीया को कोई आपति व एतराज नही होगा। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 कानूनी है।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट पत्रांक राजकाज रेफरेंस संख्या 17880644 दिनांक 19.09.2025 द्वारा प्रस्तुत की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खाते के समस्त

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

नक्शा नजरिया को मुताबिक बनाया गया है। प्रार्थी की भूमि को पूर्व में कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता के अलावा क्या पूर्व का रास्ता लगता है जो कि नजरी नक्शा में दर्शाया गया है प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ते के अलावा न्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

## आदेश

सुना अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया तहसीलदार रिपोर्ट एवं उभय पक्ष के मध्य चूंकि रास्ता को लेकर राजीनामा हो गया है इस लिए लोक अदालत की भावना से राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 क के तहत निम्नानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है

तक 17 एमओडी में अप्रार्थी सं. 1 की भूमि के मु.न. 30/263(25) के किला न. 5 उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम मे लम्बा 0.018 हैक. रास्ता व अप्रार्थी सं 3 ता 5 की मु.न. 30/263(25) किला न. 4/2 मे 0.010 हैक. एवं अप्रार्थी सं. 6 के किला न. 4/1 मे 0.008 हैक. पूर्वी दिशा मे उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता किला न. 7/.018 स्वीकृत किया जाता है। रास्ता की एवज में प्रतिकर के रूप में उभय पक्ष के मध्य भूमि के बदले भूमि देना तय हुआ है जिसके तहत किला न. 14 मे 0.010 हैक. भूमि पूर्वी दिशा उत्तर से दक्षिण में लम्बी अप्रार्थी सं. 1 विनोद कुमार के नाम दर्ज की जावे तथा अप्रार्थी सं. 3 ता 5 को उक्त रास्ता के बदले प्रार्थी के किला न. 8 मे 0.010 हैक. उत्तरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बी भूमि अप्रार्थी सं. 3 ता 5 के नाम दर्ज की जावे व किला न. 7 मे उत्तरी दिशा पूर्व से पश्चिम 13 फीट रास्ते की भूमि को छोडते हुये अप्रार्थी सं. 6 के नाम 0.008 हैक. भूमि दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार पीलीबंगा प्रकरण में किसी प्रकार का स्थगन वाद नहीं होने की दशा में जांच कर अमलदरामद करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 05/05/26 सुनाया गया।

(उमा मित्तल आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

**सहायक कलक्टर एव**
**उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा**

नोट संशोधन दिनांक 8/5/26 :-
आदेश में किला न. 7 तक रास्ता स्वीकृत कर किला न. 7 में पूर्वी दिशा में 20 फीट जगह छोडते हुए .008 हे. भूमि अप्रार्थी संख्या-1 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश पारित किया जाता है

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा